



**कायालिय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813

(276)



पत्रांक : 01 / यो०ब०-२६ / २०१८- ५७० दिनांक : १९.०६.२०१९

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल/ पाकुड़ वन प्रमण्डल/  
दुमका वन प्रमण्डल/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ राँची वन प्रमण्डल/ खूँटी वन  
प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/ लोहरदगा वन प्रमण्डल/ सिमडेगा वन  
प्रमण्डल/ सारण्डा वन प्रमण्डल/ कोल्हान वन प्रमण्डल/ पोड़ाहाट वन  
प्रमण्डल ।

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष २०१९-२० में कार्यान्वित की जाने वाली "सिलिकल्वर ऑपरेशन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण वृक्षारोपण कार्य एवं बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य का समापन कार्य हेतु रु० ६८१.७६४ (छ: करोड़ एकासी लाख छिह्न्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/ यो०ब०-३८/ २०१८-१८/ स्वी० व०प० दिनांक २७.०७.२०१८ एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४/ यो०बजट-३८/ २०१८-४५/ आ० व०प० दिनांक १७.०५.२०१९ ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-२४०६-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष-७९६ जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-४० सिलिकल्वर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष २०१९-२० में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु० ६८१.७६४ (छ: करोड़ एकासी लाख छिह्न्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796400103	614.402
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796400323	67.362
कुल :-		681.764

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-१ एवं २ पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की

—

राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-3 एवं 4 तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-5 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796400103 एवं 19S240601796400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हेठो लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।

6. वन संरद्धन कार्य के दौरान खँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों २७५ में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार

(273)

कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

**18.** स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक—3542, दिनांक—19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—26 / 2018— 570 दिनांक— 19.06.2019

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / राँची / जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका / देवघर / राँची / गुमला / चाईबासा / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—26 / 2018— 570 दिनांक— 19.06.2019

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा / पाकुड़ / दुमका / साहेबगंज / डोरण्डा / खूँटी / गुमला / लोहरदगा / सिमडेगा / चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठले वृक्षारोपण समापन कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठ)	2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			9418.59	1140.00	10558.59
<b>दुमका रीजन</b>					
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल	300	28.255	3.420	31.675
2	पाकुड़ वन प्रमण्डल	600	56.512	6.840	63.352
3	दुमका वन प्रमण्डल	800	75.349	9.120	84.469
4	साहेबगंज वन प्रमण्डल	600	56.511	6.840	63.351
योग:-		2300	216.627	26.220	242.847
<b>राँची रीजन</b>					
1	राँची वन प्रमण्डल	600	56.511	6.840	63.351
2	खूंटी वन प्रमण्डल	406	38.239	4.628	42.867
3	गुमला वन प्रमण्डल	373	35.131	4.252	39.383
4	लोहरदगा वन प्रमण्डल	500	47.093	5.700	52.793
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल	400	37.674	4.560	42.234
योग:-		2279	214.648	25.980	240.628
<b>जमशेदपुर रीजन</b>					
1	सारण्डा वन प्रमण्डल	530	49.918	6.042	55.960
2	कोल्हान वन प्रमण्डल	400	37.674	4.560	42.234
3	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल	400	37.674	4.560	42.234
योग:-		1330	125.266	15.162	140.428
सकल योग:-		5909	556.541	67.362	623.903

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन का समापन कार्य का प्रमण्डलवार का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य


क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेट)	2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			2997.96	0.00	2997.96
<b>दुमका रीजन</b>					
1	पाकुड़ वन प्रमण्डल	55	1.649	0.000	1.649
2	दुमका वन प्रमण्डल	600	17.988	0.000	17.988
3	साहेबगंज वन प्रमण्डल	60	1.799	0.000	1.799
योग:-		715	21.436	0.000	21.436
<b>राँची रीजन</b>					
1	राँची वन प्रमण्डल	700	20.986	0.000	20.986
2	गुमला वन प्रमण्डल	115	3.447	0.000	3.447
3	लोहरदगा वन प्रमण्डल	400	11.992	0.000	11.992
योग:-		1215	36.425	0.000	36.425
सकल योग:-		1930	57.861	0.000	57.861

प्रधमन मुख्य चन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्वरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण  
**(Open Forest (10–40 प्रतिशत घनत्व) with adequate root stock)**

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) : **249.83**

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
<b>(A) वित्तीय वर्ष 2019–20 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>							
1	अस्थाई पौधशालाओं में Root-Shoot द्वारा तैयार किये गये एवं स्थाई पौधशाला में उपलब्ध 40% ट्यूब प्लान्ट का उपयोग वनरोपण हेतु किया जायेगा।	220	2	499.66	640.00	1139.66	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1099.25	0.00	1099.25	
3	दो कोड़नी निकौनी	हेठो	20	4996.60	0.00	4996.60	
4	सागग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हेठो		0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	999.32	0.00	999.32	
6	वनों की सुरक्षा		7.30	1823.76	0.00	1823.76	ट्रेन्च धेरान की मरम्मति
	योग—		37.70	9418.59	1140.00	10558.59	

प्रधान मुख्य बैन संरक्षक, विकास,  
 झारखण्ड, राँची

769

अनुलग्नक-4

"सिल्वीकल्वर ऑपरेशन योजना" के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन-वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर - 249.83 रु

प्रति 200 बांस बखार (मानक संख्या प्रति हेठो)

(राशि रूपये में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	अम्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2019-20 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)					
1	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	12	2997.96	0.00	2997.96	
	कुल	12	2997.96	0.00	2997.96	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



268

## आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नाविल दशाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-26/2018/570

दिनांक -


19-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34627	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	2,825,500.00 रुपये अठाइस लाख पच्चीस हजार पंच सौ
2	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34628	PKRFOR001 MAHALING DIVISIONAL FOREST OFFICER	5,816,100.00 रुपये अठावन लाख सोलह हजार एक सौ
3	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34629	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	9,333,700.00 रुपये तिरनावे लाख तैतीस हजार सात सौ
योग:				17,975,300.00
क्रमिक योग: रुपये एक करोड उन्नासी लाख पचहत्तर हजार तीन सौ				

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
SC  
PCCF, DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34630	SBJFOR001 MAHALING DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	5,831,000.00
5	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34632	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	7,749,700.00
6	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34634	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	3,823,900.00
योग:				17,404,600.00
क्रमिक योग:		रुपये तीन करोड़ तीरपन लाख उन्नासी हजार नी सी		35,379,900.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
SC  
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34635	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	3,857,800.00 रुपये अडीस लाख सत्तावन हजार आठ सौ
8	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34637	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	5,908,500.00 रुपये उनसठ लाख आठ हजार पाँच सौ
9	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34638	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	3,767,400.00 रुपये सैतीस लाख सङ्सठ हजार चार सौ
<hr/>				
योग:				13,533,700.00
क्रमिक योग:	रुपये चार करोड नवासी लाख तेरह हजार छ: सौ			48,913,600.00
<hr/>				
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) SC PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI				

263

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34639	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	4,991,800.00 रुपये उनचास लाख इनकानवे हजार आठ सौ
11	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34640	SGHFOR002 SRI ABHISHEK BHUSHAN IFS D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	3,767,400.00 रुपये सैतीस लाख सङ्काठ हजार चार सौ
12	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34641	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	3,767,400.00 रुपये सैतीस लाख सङ्काठ हजार चार सौ
योग:				12,526,600.00
क्रमिक योग:		रुपये छ: करोड़ चौदह लाख चालीस हजार दो सौ		61,440,200.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
SPGF.DEV.JHARKHAND RANCHI


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34643	JMTFOR001  SUSHIL SOREN.  D.F.O. JAMTARA	342,000.00  रुपये तीन लाख बयालीस हजार
14	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34644	PKRFOR001  MAHALING  DIVISIONAL FOREST OFFICER	684,000.00  रुपये छ: लाख चौरासी हजार
15	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34645	DMKFOR010  SOURAV CHANDRA  D.F.O.DUMKA	912,000.00  रुपये नौ लाख बारह हजार

योग: 1,938,000.00

क्रमिक योग: रुपये छ: करोड तीस लाख अठहत्तर हजार दो सौ 63,378,200.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
SC PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34647	SBJFOR001 MAHALING DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	684,000.00
17	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34648	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	684,000.00
18	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34649	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	462,800.00
<b>योग:</b>				1,830,800.00
<b>क्रमिक योग:</b>		रुपये छ: करोड बावन लाख नौ हजार		65,209,000.00

  
(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
SC  
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक अवय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34651	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	425,200.00 रुपये चार लाख पच्चीस हजार दो सौ
20	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक अवय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34652	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	570,000.00 रुपये पाँच लाख सत्तर हजार
21	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक अवय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34653	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार

योग:


1,451,200.00

क्रमिक योग:

रुपये छ: करोड छाढ लाख साहठ हजार दो सौ

66,660,200.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
SC  
PCCF,DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34655	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	604,200.00 रुपये छ: लाख चार हजार दो सौ
23	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34656	SGHFOR002 SRI ABHISHEK BHUSHAN IFS D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार
24	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	34657	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार
<hr/>				
योग:				1,516,200.00
क्रमिक योग:	रुपये छ: करोड इक्कायासी लाख छहत्तर हजार चार सौ			68,176,400.00
<hr/>				
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF, DEV.JHARKHAND RANCHI				